an>

Title: Need to address the loan requirements of small entrepreneurs under MUDRA Bank scheme.

**श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहांपुर)**ः प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है जो साधनहीन समूहों के लिए विकास का वरदान साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत अत्यधिक छोटे और स्वरोजगार कर रहे लोगों के कारोबार को प्रोत्साहन देने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और वंचित समूहों के उद्यमियों को सस्ती दर पर संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध करना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना में यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के प्रचलित प्रारंभिक उत्पादों और योजनाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण नाम दिया गया है जिसमें शिशु योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ऋण तथा किशोर योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाना है परन्तु बैंकों की उदासीनता और अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण निम्न स्तर के उद्यमी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। देश में करीब 6 करोड़ लघु व्यवसायिक इकाई हैं जो अधिकतर एकल स्वामित्व के अधीन हैं, व्यापार या सेवा संबंधी लघु व्यवसाय करती हैं तथा लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करती हैं। इन इकाइयों में से 62 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग का स्वामित्व है। नेशनल सर्वे सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) का वर्ष 2013 का सर्वे बताता है कि देश में असंगठित क्षेत्र के 5.77 करोड़ कारोबारी हैं जिनके पास कुल 11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है। उनमें से केवल 4 प्रतिशत पूंजी ही संस्थागत तरीके से इन तक पहुंचती है शेष जरूरत गैर-संस्थागत तरीके से पूरी करते हैं। यह क्षेत्र 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके विपरीत बड़े कॉर्पोरेट बैंकों से पिछले 22 वर्षों में 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला जिससे केवल 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंक छोटे कारोबारियों तक नही पहुंच पा रहे हैं। बैंक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण गरीब और छोटे कामगारों को व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिस कारण वह बैंकों का रुख न कर साहूकारों की ओर अग्रसर हो उनके चंगुल में फंस जाते हैं और साहूकार उनका आर्थिक व मानसिक शोषण करते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना को प्रोत्साहन हेतु कार्यरत निकायों को उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं, जिससे इस योजना से ज्यादातर उद्यमी लाभ उठा सकें।